राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 628/2011

अहमद हुसैन मुकरानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.03.2011
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वर्ष 1998–99 की कुप्रविष्टि को हटाते हुए अपीलार्थी को दिनांक 02.08.2000 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे एवं समस्त सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.07.1973 को छात्रावास अधीक्षक के पद पर हुई थी और उसे दिनांक 02.08.1973 को एलडीसी तथा दिनांक 25.10.1986 को यूडीसी और दिनांक 31.03.2010 को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। आदेश दिनांक 20.03.2004 के द्वारा वर्ष 1998–99 में अपीलार्थी की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में दिनांक 17.04.2004 को विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को जो तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 02.08.2001 से दिया गया है, वह दिनांक

02.08.2000 से दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी का कार्य हमेशा संतोषजनक रहा है, फिर भी विभाग द्वारा मनमानी एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपीलार्थी को एक वर्ष बाद उक्त चयनित वेतनमान का लाभ जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वर्ष 1998–99 की कुप्रविष्टि को हटाते हुए अपीलार्थी को दिनांक 02.08.2000 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे एवं समस्त सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 21.02.2007 के द्वारा दिनांक 02.08.2001 से स्वीकृत किया गया है। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 एवं दिनांक 17.02.1998 के अनुसार उन्हीं कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय होता है, जिनका सेवाभिलेख संतोषजनक होता है। अपीलार्थी का सेवाभिलेख में वर्ष 1998–99 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 02.08.2000 के बजाय दिनांक 02.08.2001 से एक वर्ष बाद दिया गया है, जो नियमानुसार सही एवं उचित है। अपीलार्थी के विरूद्ध वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा ही लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.07.1973 को छात्रावास अधीक्षक के पद पर हुई थी और उसे दिनांक 02.08.1973 को एलडीसी तथा दिनांक 25.10.1986 को यूडीसी और दिनांक 31.03.2010 को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 20.03.2004 के द्वारा वर्ष 1998–99 में अपीलार्थी की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई। जहां तक अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 02.08.2000 के बजाय दिनांक 02.08.2001 से दिए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 1998–99 में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज होने के कारण 27 वर्षीय सेवा पूर्ण

होने के एक वर्ष पश्चात् दिनांक 02.08.2001 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 व 17.02.1998 के अनुसार जिन कार्मिकों का सेवाभिलेख संतोषजनक होने पर ही चयनित वेतनमानों का लाभ दिया जाना बताया गया है। अपीलार्थी के सेवाभिलेख में वर्ष 1998–99 में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण एक वर्ष पश्चात् तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो हमारे मत में उचित एवं नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य